

राजस्थान-सरकार
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस
GCMS NO- 2023/-72

सुनील अधिकारी-
राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 22.../2023

उनवान- सुभाषचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 02-03-2023

प्रार्थी के "नक्शा दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का श्यामपुरा मैनाना के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मैनाना की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खसरा नम्बर 545/200, 546/200, 548/200, 562/547, 600/561,662/599, 663/599 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मैनाना	ग्राम मैनाना की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खसरा नम्बर 545/200, 546/200, 548/200, 562/547, 600/561,662/599, 663/599	वर्तमान नक्शा प्रदर्श- " अ" के स्थान पर प्रदर्श- " ब" के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट- रहन यदि कोई हो तो उक्त आदेश की पालना रहनमुक्त होने के पश्चात की जावे।



क्रमांक :- राजस्व/2021/159
प्रतिनिधि

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज0)

दिनांक :- 2/3/23

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी मैनाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज0)